



भारत सरकार

खान मंत्रालय

## भारतीय खान ब्यूरो, क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय, रायपुर

दुसरी मंजील, जीएसआई फ़िल्ड प्रशिक्षण केन्द्र, महालेखाकार आफिस कोम्प्लेक्स,  
पोस्ट -विधान सभा- रायपुर- (छ.ग)-492005, फोन- 0771-2282530 /2285590 /95  
मेल- ro.raipur@ibm.gov.in

No. CHG/KNK/FE-7/NGP

Mine code:30CHG08008

Date: 26/07/2021

प्रेषित:

श्री विनोद पिल्लै

सर्वश्री गोदावरी पॉवर एण्ड इस्पात लिमिटेड,  
प्लॉट नम्बर – 428/2, फेस – 1,  
इंडस्ट्रीयल एरिया, सिलतारा, रायपुर,  
छत्तीसगढ – 493111,

Email : [vinod.pillai@hiragroup.com](mailto:vinod.pillai@hiragroup.com) , [gangaram.verma@hiragroup.com](mailto:gangaram.verma@hiragroup.com)

**विषय-** छत्तीसगढ राज्य के कांकेर जिले मे स्थित आपकी Kachche Ari Dongri Mine (138.96ha) M/S Godawari Power & Ispat Ltd , मे खनिज सरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियमो के उलंघन के संबंध मे-

महोदय,

आपकी खान का निरिक्षण दिनांक 13/07/2021 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया तथा खान के निरिक्षण मे पाया गया कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबंधो का उल्लंघन किया है।

| नियम               | उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत व्यौरा   |
|--------------------|---|
| Rule 11 (1)        | <p>Mining Operation are not being carried out in accordance with the Mining plan approved vide No Letter No. Knk/Fe/MPLN-1227/2019/RPR Dated: 09/01/2020 to the extent below:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) As per approved Mining Plan, Proposed Quantity of overburden generation in 1806000 m<sup>3</sup> , but in F.Y 2020-21 Quantity of overburden increased up to 2954525.575 m<sup>3</sup>.</li> <li>ii) ROM Lamp ore 70% and fine ore 30 % and grade is more than 65% fe where as in the returns after three stages of crushing more than 90% fines generated from below 55% fe grade to above 65% fe reported.</li> <li>iii) Proposal of Iron ore is 1400159.00 T but whereas dispatched 1683832.64 T more than proposal given in mining plan.</li> </ul> |
| Rule 35 (2)        | The softcopy (in the standard format), of high-resolution satellite images obtained from CARTOSAT-2 Satellite LISS-IV sensor on the scale of cadastral map has not been submitted.  |
| Rule 45 (5)<br>(c) | <p>While scrutiny of the annual return 2020-21, few discrepancies observed</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) The cost of production is mentioned as Rs1694.00 whereas the Ex-mine price is given Rs 1623.29. the mine is captive mine therefore Ex-mine Price will be equal to the cost of production.</li> <li>ii) Value of Fixed Assets: Rs 508997.00 only mentioned</li> <li>iii) that Part -V Reserves and resources estimated at the end of year is not correct. which needs to be corrected.</li> </ul>   |

2) इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियम का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। एवं इस नियम का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के अंतर्गत

(क) खदान की सारी संक्रियाएं बन्द की जा सकती है।

(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।

(ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिस राज्य सरकार से की जा सकती है।

3) अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से **45 (पैतालिस)** दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(आर एन मिश्र )

वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी

भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि सूचनार्थ:— By email

1 खान नियंत्रक (मध्यांचल), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर।

2 संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़, इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, छत्तीसगढ़

3. Shri Ganga Ram Verma, Mine Agent, Kachche Ari Dongri Mine (138.96ha) M/S Godawari Power & Ispat Ltd

वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी

भारतीय खान ब्यूरो